न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-O- 23/2012 **श्री रोशनलाल के बजायः–** श्रीमती कमलादेवी **बनाम** श्रीमती भावना

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31–01–2018	अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक 5–9–2012 प्रकरण संख्या 177/2012 प्रार्थना पत्र —————— पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में की गई अपीलान्ट की एक–तरफा बहस तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से अपीलान्ट का पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन कमांक 50/2003 स्वीकृत होकर दिनांक 28–2–2011 को उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा यह आवेदन आदेश–39, नियम–4 के तहत पेश कर दौराने वाद रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी द्वारा किये गये विकय के केतागणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने के आदेश दिनांक 15–9–2012 से रूष्ट होकर यह अपील पेश की है। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम आदेश होकर अपील विचाराधीन है तथा अधिनस्थ न्यायालय में जो पेश शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पश्चातवर्ती घटनाकम को लेकर नवीन अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट को सुनवाई का अवसर देकर ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश देने का विवेचन किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर दिया गया उक्त आदेश प्रथम दृष्टया अन्तर्वती (Interlocutary) आदेश है, जो अधिनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन आदेश होता है तथा उक्त आदेश की अपील अंतिम आदेश नहीं होने से इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर A. I. R. 2011 गोहाटी पेज 47 के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। प्रथम दृष्टया तथा रेकार्ड अनुसार हम अधिनस्थ	

न्यायालय के उक्त आदेश को अधिनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन तथा अंतिम आदेश पाते, अतएव यह अपील क्षैत्राधिकार विहिन होकर इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं होने से **खारिज** की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाय।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर